न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 53/2023

वादी :-
1. मानवेन्द्रसिह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. रामसिह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 2- सरकारी पैरोकार।

संशोधित निर्णय दिनांकः-23/02/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1940/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 3.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/1 रकबा 1.3834 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0. 4126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 11. 0672 हैक्टेयर आयी हुयी है। उक्त भूमि पर वादी के दादा कर्नल मेघसिंह पुत्र भूरसिंह का सेटलमेन्ट से पूर्व से कब्जा चला आ रहा था। वादी का सजरा खानदान वादी के वादपत्र के पैरा सं. 2 के अनुसार है उपरोक्त वंशावली के अनुसार पक्षकारों के पूर्वज पुरूष कर्नल मेघसिंह पुत्र भूरसिंह जी थे। कर्नल मेघसिंह के एक पुत्र रामसिंह तथा दो पुत्रीयां इन्द्रा व शशि है, जिनमें से शशि का देहान्त हो चुका है। कर्नल मेघसिंह का पोता मानवेन्द्रसिंह है। प्रतिवादी रामसिंह का जन्म दिनांक 09.06.1954 को हुआ है। ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1940/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 3.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/1 रकबा 1.3834 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 1. 0193 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 11.0672 हैक्टेयर पर सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के दादा मेघसिंह पुत्र भूरसिंह का कब्जा व काश्त था, लेकिन सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने उक्त भूमि का बीना मौका मुआवना किये तथा बीना कोई दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रतिवादी संख्या-1 रामसिंह की खातेदारी में भूमि को दर्ज कर दी तथा बीना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या-1 का नाम रेकर्ड में दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या-1 रामसिंह सेटलमेन्ट के समय नाबालिग 2-3 वर्ष का बच्चा था। प्रतिवादी संख्या-1 सेटलमेन्ट सन् 1956 के समय नाबालिग बच्चा था। एक नाबालिग बच्चा का भूमि पर कब्जा व काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, अतः सारी

कार्यवाही सेटलमेन्ट के समय बीना कोई मौका मुआयना किये एवं बीना दस्तावेजों को देखे की गयी है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के दादा मेघसिंह का उक्त खसरा नम्बर 1940/1, 1941, 1945/1, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 कुल खसरा 8 कुल रकबा 11.0672 हैक्टेयर पर सेटलमेन्ट से पूर्व से कब्जा व काश्त था तथा वादी के दादा मेघसिंह भारतीय सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत थे, उनकी उपरोक्त भूमि को उनकी पत्नी धापकंवर गांव में काश्त कार्य करवाती थी एवं हासिल प्राप्त करती थी। वादी के दादा कर्नल मेघसिंह का उपरोक्त भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व व पश्चात कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा था। वादी के दादा कर्नल मेघसिंह सेना से दिनांक 26.12.1973 को रिटायरमेन्ट होने के बाद उपरोक्त भूमि पर फसल आदि को बोया। इस कारण उपरोक्त भूमि वादी के दादा कर्नल मेघसिंह की स्वअर्जित है। ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1940/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 3.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/1 रकबा 1.3834 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 11.0672 हैक्टेयर आयी हुयी है। यह भूमि वादी के दादा कर्नल मेघसिंह जी की स्वअर्जित भूमि थी। कर्नल मेघसिंह जी वादी के साथ रहते थे। वादी एवं उनकी पत्नी ने वृद्धावस्था में कर्नल मेघसिंह जी की सेवा चाकरी की। कर्नल मेघसिंह ने अपने जीवनकाल में वादी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी उपरोक्त चल व अचल सम्पति को दिनांक 16.03.2004 को वादी के पक्ष में वसीयत को तहरीर एवं तकमील कर दी। कर्नल मेघसिंह जी की यह आखरी वसीयत थी। कर्नल मेघसिंह जी का दिनांक 03.03.2010 को देहान्त हो गया। एवं उनकी पत्नी श्रीमती धापकंवर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या-1 को यह भलीभांति जानकारी थी कि कर्नल मेघसिंह जी ने दावे के पद संख्या-1 में अपनी स्वअर्जित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत वादी के पक्ष में कर दी थी। फिर भी उसने बदयान्तिपूर्वक बीना वादी को सूचित किये राजस्व रेकर्ड का बेजा फायदा उठाते हुए मौके पर भूमाफियाओं को लेकर आया और अपने आपको इस भूमि का खातेदार बताकर भूमाफियाओं को बैचान हस्तान्तरण करने की कोशिश कर रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या-1 को यह जानकारी है कि सेटलमेन्टके समय भूमि को उसके नाम दर्ज किया तब वह नाबलिग बच्चा था। कर्नल मेघसिंह जी ने अपने जीवनकाल में दावे के पद संख्या-1 में वर्णित अपनी स्वअर्जित भूमि की दिनांक 16.03.2004 को वादी के पक्ष में वसीयत कर दी थी, इस कारण से उनके देहान्त दिनांक 03.03.2010 के बाद वादी ही उनकी भूमि का हकदार है। प्रतिवादी का इस भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या-1 को इस भूमि को अन्य किसी को बैचान हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या-1 इस भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने की कोशिश कर रहा है। अतः वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी वसीयत के आधार पर दावे के पद संख्या-1 में वर्णित की खातेदारी भूमि की घोषणा के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा राजस्व रेकर्ड के गलत इन्द्राज के आधार पर इस भूमि को अन्य किसी को बैचान हस्तान्तरण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या-1 को विवादग्रस्त

भूमि को अन्य किसी को बेचान हस्तान्तरण करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। वाद कारण सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी में भूमि को दर्ज करने पर तथा दिनांक 16. 03.2004 को मेघसिंह जी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में तहरीर एवं तकमील करने पर तथा दिनांक 03.03. 2010 को मेघसिंह जी का देहान्त हो जाने पर तथा प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर भूमाफियाओं को इस भूमि के बैचान हस्तान्तरण की कोशिश करने पर बमुकाम ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश निवेदन है कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1940/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 3.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/1 रकबा 1. 3834 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 11.0672 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम से इन्द्राज किये जावे एवं प्रतिवांदी संख्या-1 का राजस्व रेकर्ड से नाम हटाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि के कब्जे काश्त की भूमि में कोई दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। वादी द्वारा वाद पत्र सं. 53/2023 के संबंध दैनिक भास्कर समाचर' पत्र में सूचना प्रसारित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दावा खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिससे शामिल मिसल किया गया। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र मानवेन्द्र पुत्र रामसिंह पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2016 के खसरा सं. 1940, 1941, 1945, 1950, 1951, 1952, 1948, 1949 की ई प्रति, प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड वसीयतनामा, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र कर्नल मेघवाल की प्रति, प्रदर्श 4 निर्वाचन नामावली सन् 2008 ई प्रति, प्रदर्श 5 निर्वाचक नामावली सन् 1980 आदि प्रदर्षित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 1940/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 3.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/1 रकबा 1.3834 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1951

रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 11.0672 हैक्टेयर पूर्व में भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग राजस्व जमाबंदी संवत् 2016 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी व अन्य खसरे रामसिंह वल्द मेघसिंह, मोहसिंह वल्द भूरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2019-2022 में अनुसार वादग्रस्त आराजी व अन्य खसरे रामसिंह पुत्र भूरसिंह, मोहसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम से राजस्व रेकर्ड में थी। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2035-2038 व 2044-2047 के अनुसार वादग्रस्त आराजी व अन्य खसरे रामसिंह पुत्र मेगसिंह, मोहसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। राजस्व जमाबंदी संवत् 2048-2051 व जमाबंदी संवत् 2052-2055 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में केवल रामसिंह पुत्र मेघसिंह कौम राजपूत का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज था। इसी प्रकार अंतिम राजस्व जमाबंदी संवत् 2076-2079 जो वादपत्र के साथ संलग्न है, उसमें रामसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत का नाम राजस्व रेकर्ड है। वादी द्वारा वसीयतनामा पेश कर वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु वाद पेश किया गया है। उक्त वसीयतनामा कर्नल मेघसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत द्वारा वादी मानवेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत के पक्ष में दिनांक 16.03.2004 को निष्पादित किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा का अवलोकन करने पर पाया कि वसीयतनामा में बनीपार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर में प्लांट सं. बी 1 जिसका कुल नाप 746 वर्ग गज तथा ग्राम खारिया मीठापुर की कृषि भूमि के खसरा नंबर 1997 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा का वर्णन किया गया। वादी के वाद पत्र में चाहे गऐ अनुतोष का वसीयत में कही भी उल्लेख नहीं किया गया। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया तथा न्यायालय का समय व्यर्थ करने का कार्य किया गया है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा पेश गया वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाना उचित है।

:- आदेश-:

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/02/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :- मानवेन्द्र

बनाम

प्रतिवादीगण :-
रामसिंह वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 53/2023

निर्णय दिनांक :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत साबित नही होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा